

09/09/22 आज यह पतावली पेश हुई कि कुल 2 उपस्थित
है। वकील वादी ने पूर्व आदेशों दिनांक 06/11/2012
अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के बालक की मरम्मत खर्च
प्राप्ति को कोर्ट राशि 200 रुपये पर स्वीकार किया जाने की
स्थिति में आदिनांक तक कोर्ट अदालत नहीं कसने एवं
दिनांक 18/12/2012 से आज तक प्रतिवादी सं 01 के वारिसान
की सखी हेतु बार-बार अवसर, अन्तिम अवसर क्रियान्वित
एवं दिनांक 23/03/2018 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या
03 लोकराय के मरने की सूचना क्रियान्वित पर भी वकील वादी
द्वारा प्रतिवादी सं 03 के बालक हेतु मरम्मत खर्च पेश करने
हेतु भी बार-बार अवसर, अन्तिम अवसर, बार विद्वान
अन्तिम अवसर क्रियान्वित उपरान्त भी आदिनांक तक अंत
आदेशों की प्राप्ति नहीं क्रियान्वित एवं दिनांक 21/12/2018 की
आदेशानुसार भी अंतानुसार पेश करने मरम्मत खर्च अन्तिम
अवसर आगामी नियत तिथि को अदालत अनुपालना में

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम ह
---------------	------------------------------------	---------

13 प्रकरण को खारिज करने की दिहायत के साथ अन्तिम अवसर
 दिये जाने के उपरान्त भी जाहिनांक तक बार-बार अवसर
 अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी वादी ने उपरोक्तानुसार
 खारिसान की तलवी, जहायगी कोस्ट क्या प्र० सं० 03 के बाबत
 पेश करने प्राप्ता मरम्मत खवाल के आदेशों की पालना नहीं
 की है जिस हेतु वकील प्रतिवादी का भारी उग्र रहा। जताः
 वादी के वाद को उपरोक्तानुसार तलवी खारिसान नहीं
 कराये जाने व कोस्ट जहायगी नहीं किये जाने एवं प्रति
 सं० 03 के बाबत प्राप्ता मरम्मत खवाल प्रस्तुत करने के
 बाबत के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर
 वादी के वाद को अहम जहायगी अनुपालना आदेश
 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। प्रावली
 फैसल शमार लेकर नम्बर से कम ही, वाद तकमील
 जमा जिला लेख भण्डार ही। सुनाया गया।

